

अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग आदेश संख्या...589.../2023

बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापक-9615, दिनांक-12.11.2018 से निर्गत संकल्प एवं वित्त विभाग का ज्ञापक-3590, दिनांक-24.05.2017 से निर्गत संकल्प के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग आदेश सं0-1174/19 सहपठित ज्ञापक-3100, दिनांक-20.11.2019 के अनुसार हवलदार नागेन्द्र कुमार सिंह एवं सि0/176 मो0 सरताज खाँ का वेतन निर्धारण करते हुए भुगतान किये गये अधिक राशि की माहवार कटौती की जा रही थी।

उपरोक्त कटौती के विरोध में हवलदार नागेन्द्र कुमार सिंह एवं मो0 सरताज खाँ को भुगतान किये गये अधिक राशि की कटौती के विरुद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 209/2023 दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया है:-

“Having regard to the facts and circumstances and the materials available on the record, this Court finds that the present case would also be covered by the order dated 21.02.2023 passed in CWJC No. 155 of 2023.

This writ application is thus, disposed of in similar terms.”

उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 155/ 2023 में धनंजय कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में दिनांक-21.02.2023 को पारित न्यायादेश निम्नवत है:-

“Learned counsel for the petitioners submits that the case of the petitioners are similarly situated to the petitioner in CWJC No. 10220 of 2021 and the petitioners in CWJC No. 4864 of 2021. The petitioners are looking for similar reliefs.

Learned counsel for the petitioners submits that the State has accepted the order of this Court as contained in Annexure ‘5’ in case of some of the similarly situated persons, therefore, there is no reason as to why the State would not take similar view in respect of the petitioners as well. This Court has been informed that the orders as contained in Annexure-5 have not been appealed against.

In the aforesaid view of the matter, this writ application is being disposed of with a direction to the Additional Chief Secretary, Department of Home (Police), Government of Bihar (respondent no. 2) to examine the case of the petitioners keeping in view the orders passed by this Court in CWJC No. 10220 of 2021 and CWJC No. 4864 of 2021. In case it is found that these petitioners are similarly situated to the petitioners of the said two cases, it goes without saying that the petitioners would also be entitled for similar reliefs and there would be no recovery from them. The respondents would, however, be at liberty to take steps for re-fixation of pay/ACP after giving an appropriate opportunity of hearing to the petitioners.

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 10220/2021 हरीश अहमद खाँ बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना का आदेश निम्नवत है, जिसे इस मामले के निष्पादन में भी वर्णित किया गया है:-

“ In the light of these facts and circumstances, order dated 12.11.2018 (Annexure-2) stands set aside. Accordingly, the present petition stands allowed reserving liberty to the respondents to initiate a fresh proceedings in accordance with law after giving ample opportunity of hearing to the petitioner. The above exercise shall be completed within a period of three months from the date of receipt of this order. **If any recovery is effected, the same shall be refunded to the petitioner forthwith.**”

1. उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में हवलदार नागेन्द्र कुमार सिंह का वेतन से अपराध अनुसंधान विभाग, आदेश सं०-1174/19, दिनांक-20.11.2019 के आलोक में ही गई कटौती राशि को तत्काल उनके वेतन खाते में वापस करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार लेखा प्रभारी, अप०अनु०विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिर्फ इसी मामले के लिए लागू है। यह पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

3. यह आदेश इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किये गये एल०पी०ए० नं०-16279/2022, दिनांक-26.08.2022 के फलाफल से प्रभावित होगा।

इस पर अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

18/8/23
पुलिस अधीक्षक(सी०)
अपराध अनुसंधान विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापक-२०क१०/०३/२०२३ 1804

बिहार पुलिस मुख्यालय
(अपराध अनुसंधान विभाग एन कमजोर वर्ग प्रभाग)

पटना, दिनांक-23.08.2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी, लेखा शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
2. २०पु०नि० (द्वितीय) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
3. प्रभारी संकेत/से०पु०/आ०एम०एस०, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
4. आई०टी० मैनेजर, पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
5. संबंधित हवलदार नागेन्द्र कुमार सिंह को सूचनार्थ।

18/8/23
पुलिस अधीक्षक(सी०)
अपराध अनुसंधान विभाग
बिहार, पटना